न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : नीरज कुमार R.J.S. *(जिला न्यायाधीश संवर्ग)*

मुत्फरिक फौजदारी प्रकरण संख्या – 89/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 180/2025 थाना बेगूं
सेशन प्रकरण संख्या 14/2026
अन्तर्गत धारा – 8/15 एनडीपीएस एक्ट

धनराज पिता भेरुलाल गुर्जर, निवासी राईपुरिया, थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ, राज.
–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक चित्तौडगढ़
–विपक्षी/अभियोग पक्ष

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–
01. श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से उपस्थित।
02. श्री कैलाश चन्द्र धाकड़, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से उपस्थित ।

– आदेश – **दिनांक : 16.04.2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण की पत्रावली तलब की गई।

02. बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी को पुलिस द्वारा झूंठा आलिप्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। प्रार्थी का प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। आरोपित अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। जब्तशुदा मादक पदार्थ व इन्वेन्टरी कार्यवाही के दौरान किये तोल में अन्तर हैं, प्रार्थी गरीब परिवार का कर्ता व्यक्ति है, जिसके अभिरक्षा में रहने से परिवार पर विपरीत असर पड़ रहा है। आरोपित अपराध मृत्यु दंड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जा चूका हैं । अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

03. अपर लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2025 को शिवलाल मीणा, थानाधिकारी बेगूँ द्वारा मय जाब्ता दौराने गश्त एवं नाकाबन्दी सूरतपुरा व गोरला के मध्य नेशनल हाईवे नम्बर 27 चित्तौडगढ से कोटा जाने वाली रोड के कट के पास पहूंच कर 8.45 एएम पर नाकाबन्दी

शुरु की , दौराने नाकाबन्दी एक ट्रक नम्बर एआर 39 डी 1363 में मिले मादक पदार्थ की कार्यवाही की इसी दौरान मोबाईल 112 ड्यूटी पर तैनात कानि भागीरथ ने सूचना दी कि वह ड्यूटी पर मातेश्वरी होटल के पास खडा था कि 8.10 एएम पर काटुन्दा की तरफ से टाटा ट्रक नम्बर आरजे 01 जीडी 2892 आई जो पुलिस गाडी को देखकर उसका चालक ट्रक को रोड के साईड मे खडी कर खेतों की तरफ भाग गया, ट्रक में संदिग्ध वस्तु होने की संभावना हैं, इस पर वह 5.05 पीएम पर सरहद गोरला सेरवाना होकर सुरतपुरा मातेश्वरी होटल के पास पहूंचा ट्रक की तलाशी लेने पर उसमेंसे 89 प्लास्टिक के कट्टो से कुल 1880 किलो 400 ग्राम डोडाचुरा बरामद हआ जिसे कब्जे में रख परिवहन करने का कोई लाईसेंस ट्रक में नहीं पाया गया.. इत्यादि पर प्रकरण संख्या 180/2025 दर्ज कर अनुसंधान किया एवं अनुसंधान से अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर उसे गिरफ्तार किया ।

05. सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध है। अभियुक्त के विरूद्ध अवैध डोडाचुरा परिवहन करने के अपराध का आरोप है। हालांकि अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रेकार्ड संलग्न पत्रावली नहीं हैं, लेकिन प्रकरण में बरामद अफीम डोडाचुरा की मात्रा 1880 किलो 400 ग्राम होकर यह व्यवसायिक मात्रा से अधिक हैं जिस पर धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान नकारात्मक रुप से लागु होते है । जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न कि प्रकरण में वक्त जब्ती किये गये तोल एवं इन्वेन्टरी कार्यवाही में किये गये तोल में अन्तर हैं, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं कि जब्ती की कार्यवाही जून माह में की गई उस समय गर्मी का मौसम था एवं इन्वेटरी की कार्यवाही अगस्त माह में की गई उस समय बरसात का मौसम होने से वातावरण की नमी के कारण वजन की मात्रा बढने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं, जहां तक प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने का प्रश्न हैं, अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जा चूकी हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अवैध डोडाचुरा की मात्रा एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

– : आदेश :–

06. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **धनराज पिता भेरुलाल गुर्जर, निवासी राईपुरिया, थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ, राज.** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को जरिये अधिवक्ता निःशुल्क दी जावे एवं एक प्रति जरिये ई–मेल अभियुक्त की सूचनार्थ उपकारागृह बेगूॅ को प्रेषित की जावे।

(नीरज कुमार)
विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

07. आदेश आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नीरज कुमार)
विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़